

26 जनवरी को कांग्रेस पुनः पद यात्राओं का देशव्यापी दौरा शुरू करेगी

पंजाब व दिल्ली के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, कांग्रेस देश के प्रथम सिख प्र.मंत्री के अपमान व अमित शाह द्वारा डॉ. अंबेडकर के तिरस्कार को इस आंदोलन का नारा बनायेगी

-रेणु मिश्र-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर। कांग्रेस संविधान के दुरुपयोग का विरोध करने के लिये, 26 जनवरी से पूरे देश में एक साल तक गहन आंदोलनात्मक कार्यक्रम शुरू करेगी। यह कार्यक्रम एक पद यात्रा के रूप में होगा। पद यात्रा का फोकस, गाँवों और शहरों के साथ ही, विशेष रूप से ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर होगा। ऐसी आशा की जा रही है कि पार्टी पूरे 2025 में आन्दोलन-मोड में रहेगी।

आन्दोलन का फोकस अमित शाह द्वारा डॉ. अंबेडकर को निशाना बनाये जाने पर तो होगा ही, पार्टी इस बिन्दु पर भी फोकस करेगी कि भाजपा ने किस तरह देश के पहले सिख

कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी में उत्साह व जोश का संचार हुआ था तथा कांग्रेस पार्टी भाजपा से दो-दो हाथ करने की स्थिति में आ गई। अतः अब पुनः पद यात्राओं का सिलसिला शुरू करके, पार्टी पुरानी सफलता दोहरा लेगी।

2025, कांग्रेस के लिये आंदोलन व प्रदर्शनों का समय होगा।

प्रधानमंत्री तथा नेहरु के बाद, सबसे अधिक लोकप्रिय व्यक्ति का अपमान किया है।

दिल्ली और पंजाब के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए, कांग्रेस इसे एक बड़े मुद्दे का रूप देने की पूरी तैयारी में है। जब पार्टी भारत की जनता से जुड़ने की मुहिम पर उतरेगी, तो महंगाई तथा

देख रही है।

राहुल गांधी के "भारत जोड़ो यात्रा" ने कांग्रेस के पक्ष में आश्चर्यजनक काम किया था। उस यात्रा से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था तथा राहुल जबरदस्त आत्मविश्वास से भरे हुये नेता के रूप में उभर कर आये थे। पार्टी को इसका लाभ भी मिला था।

कांग्रेस अध्यक्ष ने यह घोषणा भी की है कि पार्टी संगठन में बुध-स्तर से लेकर ऊपर तक, आमूलचूल परिवर्तन होगा। यह सारा काम भी 2025 में ही होगा।

देखना यह है कि यह सब होगा भी या नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत सारी घोषणाएँ होती रही हैं, लेकिन परिणाम कुछ खास नहीं निकला है।

पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन

100 वर्षीय कार्टर अमेरिका के सबसे दीर्घायु पूर्व राष्ट्रपति थे

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर, जिन्होंने विश्व के कई बड़े हिंसक संकटों में शांति का प्रयास किया, का निधन हो गया है। वे 100 वर्ष के थे।

वे, अमेरिका के इतिहास में सबसे लम्बी उम्र पाने वाले राष्ट्रपति थे। जॉर्जिया निवासी कार्टर डेमोक्रेटिक पार्टी से थे और अपने सद्भाव एवं उदारता के लिये प्रसिद्ध थे। वे यूएफली-उत्पादक कृषक थे। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 1981 में समाप्त हुआ था। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी वे जीवन भर राजनयिक कार्यों से जुड़े रहे।

उनके परिवार, तथा कार्टर-दम्पति द्वारा स्थापित अलाभकारी "द कार्टर सेंटर" के दो निकटस्थ व्यक्तियों के अनुसार, पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन रविवार को उनके घर पर ही हुआ। लम्बे मेडिकल संकटों के बाद, दो वर्ष पहले से उन्होंने दवाएँ लेना बंद कर दिया

कार्टर को इज़राइल और इजिप्ट के हिंसक संघर्ष को समाप्त करने के लिए 2002 में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

1976 में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले कार्टर 1981 तक इस पद पर रहे। उन्हें उदार, मानववादी और शांति समर्थक नेता के रूप में जाना जाता है।

राष्ट्रपति पद से हटने के बाद वे सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ नॉन प्रॉफिट संगठन कार्टर सेंटर बनाया, जिसके तहत दुनिया भर में समाज सेवा के कई कार्य किये जाते हैं।

था। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल आर्थिक उथल-पुथल के लिये जाना जाता है।

1 अक्टूबर 1924 को जन्मे कार्टर 1977 में आर फोर्ड को हराकर राष्ट्रपति बने थे। इस दौरान उन्होंने अमेरिका के मिडिल ईस्ट से रिश्तों की नींव रखी। तबौर राष्ट्रपति उनके कार्यकाल को इज़राइल और मिस्त्र के बीच 1978 के कैम्प डेविड समझौते के लिए याद किया

रामसुब्रमण्यन ने मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पद संभाला

नयी दिल्ली, 30 दिसम्बर।

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी ने सदस्य के रूप में कार्यभार संभाल लिया। आयोग के प्रवक्ता के अनुसार, न्यायमूर्ति वी.

उनके साथ ही डॉ. विद्युत रंजन सारंगी ने सदस्य का पद ग्रहण किया।

रामसुब्रमण्यन ने इस अवसर पर मानवाधिकारों को महत्व देने और उनका पालन करने की देश की प्राचीन परंपरा पर प्रकाश डाला। तमिल कवि तिरुवल्सुवर का हवाला देते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानवाधिकार भारत के सांस्कृतिक ताने-बाने में गहराई से समाए हुए हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। इस अवसर पर कार्यवाहक अध्यक्ष विजया भारती सयानी, महासचिव भरत लाल और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

रविवार को उनके निधन के बाद, राष्ट्रपति के रूप में उनके उत्तराधिकारियों की श्रद्धांजलियों का ताँता लगा गया। राष्ट्रपति बाइडन ने एक बयान में कहा, "अमेरिका और विश्व ने एक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महाकुंभ में सात स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी

नयी दिल्ली, 30 दिसम्बर। महाकुंभ 2025 में प्रत्येक आगंतुक की गणना होगी और इसके लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी - फेस आईडेंटिफिकेशन, रिस्ट बैंड और मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जाएगा। उत्तरप्रदेश के विच एवं

कुंभ के दौरान 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। सब की गणना व लोकेशन ट्रैकिंग की जायेगी।

संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना और आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री नीतिन अग्रवाल ने सोमवार को प्रयागराज में अगले महीने से शुरू होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियों पर कहा कि मेला परिसर में सुरक्षा के लिए तगड़े प्रबंध किये गये हैं। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को सात स्तरीय बनाया गया है। इसके लिए पहला स्तर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-लक्ष्मण वैकट कुची-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर। गत सप्ताह अन्ना युनिवर्सिटी की छात्रा का दुष्कर्म केस तमिलनाडु की द्रमुक (डी.एम.के.) सरकार के लिए बड़ा राजनैतिक संकट बन गया है। दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सारा विपक्ष एकजुट हो गया है।

इस केस में पुलिस का बर्ताव इतना ज्यादा पक्षपाती था कि हाईकोर्ट को स्वंप्रेरित संज्ञान लेना पड़ा। उसने एक स्पेशल इन्वैस्टिगेशन टीम (एस.आई.टी.) बनाई है तथा सरकार को उसका सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।

पहली बार अन्नाद्रमुक में सक्रियता देखने को मिली है और सड़कों पर उतर कर सत्तारूढ़ पार्टी द्रमुक के खिलाफ आंदोलन कर रही है। ज्ञातव्य है कि

तमिलनाडु में दुष्कर्म केस ने विपक्ष को एकजुट किया, द्रमुक के खिलाफ विशेषज्ञों के अनुसार, अगर यह तालमेल विधानसभा चुनाव तक रहा तो द्रमुक का सूपड़ा साफ हो जाएगा

विशेषज्ञों के अनुसार, अगर यह तालमेल विधानसभा चुनाव तक रहा तो द्रमुक का सूपड़ा साफ हो जाएगा

- सबसे ज्यादा चर्चा अन्नाद्रमुक की सक्रियता की हो रही है, जिससे हाल ही में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका भी भाजपा ने हथिया ली थी। अन्नाद्रमुक ने चेन्नई में विरोध प्रदर्शन किए और पोस्टर लगाए हैं।
- हाल ही में राजनीति में उतरे अभिनेता विजय ने भी राज्यपाल से मुलाकात का द्रमुक सरकार के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की है।
- यह भी चर्चा है कि भाजपा अभिनेता विजय से तालमेल कर सकती है।
- स्थानीय मीडिया का कहना है कि अन्नाद्रमुक युनिवर्सिटी की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी की शिक्षा मंत्री से नज़दीकी है और कई द्रमुक नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें भी देखी गई हैं।

अन्नाद्रमुक अब तक निष्क्रिय थी और भाजपा मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आती दिख रही थी। भाजपा और

अन्नाद्रमुक ने लोकसभा चुनावों से पूर्व गठबंधन तोड़ दिया था और इसी बंदे हुए विपक्ष ने द्रमुक-कांग्रेस गठजोड़ को

लोकसभा चुनाव में सभी 39 सीटें जीतने में मदद दी थी और अब विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति

रहने की उम्मीद है। वे अलग-अलग चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि भाजपा ने गठबंधन के संकेत दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट "इस्लामिक स्टेट" पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट में इस संदर्भ में साकिब अब्दुल हामिद नाचन ने याचिका डाली है

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर। सुप्रीम कोर्ट 22 दिसम्बर को एक याचिका की सुनवाई करेगा, जिसमें इस्लामिक स्टेट और इससे जुड़े सभी संगठनों को अनलॉक/फुल एक्टिविटी/प्रिवैन्शन एक्ट के तहत प्रतिबंधित करने को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज और वरिष्ठ वकील मुक्ता गुप्ता को केस में सहायता के लिए न्यायमित्र नियुक्त किया।

यह याचिका साकिब अब्दुल हामिद नाचन (64 वर्ष) ने दाख की है, जिसे नेशनल इन्वैस्टिगेशन एजेंसी ने दिसम्बर 2023 में गिरफ्तार किया था, क्योंकि उस पर इस्लामिक स्टेट

माँड्यूल चलाने का आरोप था। नाचन, जो कि प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का पूर्व महासचिव था, मुम्बई सीरिया (आई.एस.आई.एस.) पर बैन लगाने को चुनौती दी और आरोप लगाया

नाचन को दिसम्बर 2023 एन.आई.ए. ने गिरफ्तार किया, क्योंकि वह इस्लामिक स्टेट संस्था का मुखिया था, जैसा कि विदित ही है, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इण्डिया पर प्रतिबंध लगा तो वह संस्था, इस्लामिक स्टेट के नाम पर अवतरित हुई थी।

नाचन ने सुप्रीम कोर्ट की सूर्यकांत व उज्जल भूयान की बैंच को अपने अंग्रेजी में दिये गये दलीलों की डिलिवरी से प्रभावित किया तथा बैंच ने याचिका को सुनने का निर्णय लिया तथा दिल्ली हाई कोर्ट की अवकाश प्राप्त जज मुक्ता गुप्ता को "एमिकस क्यूरी" (न्यायमित्र) नियुक्त किया।

में दर्जनों लोग मारे गये थे। सजा भुगतने के बाद, वह नवम्बर 2017 में जेल से बाहर आया था।

ए.आई.ए. द्वारा गिरफ्तारी के बाद, नाचन ने दिसम्बर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर इस्लामिक स्टेट अर्थात् इस्लामिक स्टेट ऑफ ईराक एण्ड सीरिया (आई.एस.आई.एस.) पर बैन लगाने को चुनौती दी और आरोप लगाया

ने कहा कि याचिकाकर्ता को अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान है और न्यायालय में पेश होने का शिष्टाचार भी जानता है।

बैंच ने मुक्ता गुप्ता को न्यायमित्र नियुक्त करते हुए कहा कि इस मामले में जटिल कानूनी मसले हैं और हमारे समझने पर नाचन न्यायमित्र की नियुक्ति के लिए मान गया है।

बैंच ने कोर्ट रजिस्ट्री से कहा है कि न्यायमित्र की आरोपी से ऑनलाइन मीटिंग कराई जाए और अगली सुनवाई में उसे वर्चुअली उपस्थित होने की अनुमति दी जाए।

नाचन को याचिका में, केन्द्र सरकार द्वारा 16 फरवरी 2015 और 19 जून 2018 को जारी दो नोटिफिकेशन्स की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जिनमें इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान एण्ड लेवांट, आई.एस.आई.एस., डाइश, इस्लामिक स्टेट इन खोरासान प्रांत, आई.एस.आई.एस. विलायत, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

के सरकार कुछ विचारधाराओं और पवित्र कुरान एवं खलीफा के कुछ सिद्धान्तों को निशाना बना रही है। नाचन, जो एन.आई.ए. केस के सिलसिले में तिहाड़ जेल में है, ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भूयान को बैंच के समक्ष अपना पक्ष रखा था। 4 दिसम्बर को हुई सुनवाई में बैंच

'मेरी सिम का उपयोग दूसरे आरोपियों ने किया'

जयपुर, 30 दिसम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट ने ईओ और आरओ भर्ती की परीक्षा में नकल कराने से जुड़े मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी ललितपाल, कमलकांत और रामलाल को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि तीनों आरोपी परीक्षा में परीक्षार्थी के रूप में शामिल नहीं हुए थे। वहीं, उनकी सिम का उपयोग सह आरोपियों की ओर से करना बताया गया है। इसके अलावा, उन पर यह भी आरोप नहीं है कि उन्होंने सिम का स्वयं न उपयोग करके ब्लूटूथ के माध्यम से परीक्षा में अन्य अभ्यर्थियों

याचिकाकर्ताओं की दलील को स्वीकार कर हाई कोर्ट ने जमानत दी।

को नकल कराई है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता शफीकुर रहमान ने अदालत को बताया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है और वे परीक्षा में भी नहीं बैठे थे। याचिकाकर्ताओं की सिम का उपयोग दूसरे आरोपियों ने किया था और याचिकाकर्ताओं को यह जानकारी भी नहीं थी कि उनकी सिम का नकल में उपयोग होगा। इसके अलावा, याचिकाकर्ता दो माह से अधिक अवधि से जेल में बंद हैं। वहीं, प्रकरण की मुख्य आरोपी भावना को पूर्व में जमानत का लाभ दिया जा चुका है। ऐसे में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'डा. मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन पर कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों नदारद थे'

भाजपा ने इस अनुपस्थिति को डॉ. सिंह का निरादर बताया

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को कांग्रेस नेताओं की आलोचना करते हुये कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अस्थियों को यमुना में प्रवाहित किये जाने के दौरान, वे लोग सिंह के परिवार के साथ नहीं थे। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उसने ऐसा परिवार की प्राइवैसी सुनिश्चित रखने के लिये किया था।

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि "सिंह के परिवार की प्राइवैसी के सम्मान की खातिर" पार्टी के वरिष्ठ नेता अस्थियाँ एकत्रित एवं प्रवाहित करने सिंह के परिवार के साथ नहीं थे।

उन्होंने कहा कि अपने प्रिय दिवंगत नेता के दाह संस्कार के बाद, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और श्रियंका गांधी वाड़ा सिंह के घर जाकर उनके परिवार से मिली थी।

डॉ. खेड़ा ने एक बयान में कहा, "परिवार के साथ बातचीत करने के बाद, ऐसा महसूस किया गया कि दाह संस्कार के समय परिवार को प्राइवैसी

कांग्रेस ने जवाब में कहा, स्वर्गीय सिंह के परिवार की प्राइवैसी को ध्यान में रखते हुए, कांग्रेस के नेताओं ने "फूल चुनने" व अस्थि विसर्जन को परिवार वालों के लिये, बड़ा भावना प्रधान, हृदय विदारक मौका बताया तथा इस मौके पर परिवार को पूर्ण प्राइवैसी की आवश्यकता पर जोर दिया।

कांग्रेस प्रवक्ता ने इस बात पर भी जोर दिया कि दाह संस्कार के समय पर भी परिवार को कोई प्राइवैसी नहीं मिली थी तथा "एक्सटेंडेड" परिवार के कई सदस्य तो उनकी चिता तक पहुँच नहीं पाये थे।

डॉ. सिंह की अस्थियों का विसर्जन यमुना में, मजनु का टीला के गुरुद्वारे के पास किया गया तथा डॉ. सिंह की पत्नी गुरुशरण कौर व तीनों पुत्रियाँ- उपेन्द्र सिंह, दमन सिंह व अमृत सिंह इस अवसर पर मौजूद थीं।

अखण्ड पाठ एक जनवरी को डॉ. सिंह के निवास- 3, मोतीलाल नेहरू मार्ग पर आयोजित किया गया है।

तथा भोग अंतिम अरदास कीर्तन, 3 जनवरी को रकावगंज गुरुद्वारा में होगा।

नहीं मिली तथा दूर के कुछ पारिवारिक, इसलिये यह उचित प्रतीत हुआ कि सदस्य चिता तक भी नहीं पहुँच पाये, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विलायत, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)